बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 58 / 2020

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक–

विषय – गया जिलान्तर्गत पेय जलापुर्त्ति के लिये गंगा जल उद्‌वह योजना के जल संचयन, जल शोधन संयन्त्र एवं पावर स्टेशन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 98.05 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – इस कार्यालय का पत्रांक 277 दिनांक 17.03.2020 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया का पत्रांक 1584 दिनांक 31.03.2020, पत्रांक 1583 दिनांक 31.03.2020 तथा पत्रांक 1574 दिनांक 24.03.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन परियोजना पर भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 277 दिनांक 17.03.2020 द्वारा भेजा गया था जिसमें परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि, जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र एवं पुनर्वास योजना (Rehabilitation Plan) से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न नहीं था।

2. उक्त से संबंधित प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1584 दिनांक 31.03.20, पत्रांक 1583 दिनांक 31.03.2020, पत्रांक 1574 दिनांक 24.03.2020 तथा कार्यपालक अभियन्ता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज (गया) के पत्रांक 203 दिनांक 03.04.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुनर्वास योजना (Rehabilitation Plan) से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। तद्–आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 277 दिनांक 17.03.2020 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को संशोधित कर भेजा जा रहा है।

3. गया जिलान्तर्गत पेय जलापुर्त्ति के लिये गंगा जल उद्‌वह योजना के जल संचयन, जल शोधन संयन्त्र एवं पावर स्टेशन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 98.05 हे० वन भूमि अपयोजन के लिये कार्यपालक अभियन्ता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज (गया) का प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से भाग–II एवं भाग–III में प्रविष्टि उपरान्त प्राप्त हुआ है।

फोन नं०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

4. उक्त परियोजना का निर्माण गया एवं बोधगया में सालोंभर जलापूर्त्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण करने के उदेश्य से किया जाना है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में **परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली कुल 98.05 हे० भूमि की विवरणी निम्न प्रकार से अंकित की गयी है–**

क्रम सं०	वन प्रक्षेत्र का नाम	राजस्व ग्राम	भूमि का किस्म	अधिसूचना संख्या	रकबा (हे० में)
1	अतरी	तैतर	अधिसूचित वन भूमि (PF)	C/PF 10148/52-25R Dated 02.01.1953	35.71
2	अतरी	बिकैपुर	अधिसूचित वन भूमि (PF)	C/F 170/54-3412R Dated 09.08.1954	52.43
3	गया	पेहानी	पहाड़ (Pahad)		3.38
4	गया	अबगीला	अधिसूचित वन भूमि (PF)	C/F 170/54-3409R Dated 09.08.1954	6.53
कुल					98.05

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण होने से 2370 बाँस के बखार सहित कुल 2991 पौधें प्रभावित होगें (सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है)।

7. अपयोजित होने वाली वन भूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं Geo-referenced नक्शा मौजावार Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

8. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.2 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित की गयी है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

9. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि, आश्रयणी एवं इसके इको सेंसेटिव जोन से बाहर है तथा परियोजना क्षेत्र राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र से लगभग 21 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है।

10. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि (98.05 हे०) को चिन्हित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1583 दिनांक 31.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

क्र. सं.	अंचल	मौजा	थाना सं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	गुरारू	ईटहरी	61	200	885 885/2959 887 905 887/2960 868 875 872	49.30 01.38 32.47 10.28 10.79 04.79 01.47 00.14 **110.62**	गैरमजरूआ मालिक परती कदीम
2	इमामगंज	इमनावाद	159	192	52 56 57	24.50 40.10 37.05 **101.65**	अनावाद बिहार सरकार जंगल
3	रजौली (नवादा जिला)	रामदासी	182			12.50	कार्यपालक अभियन्ता, तिलैया नहर प्रमंडल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जल संसाधन विभाग के स्वामित्व की भूमि।
		बौढ़ीकला	179			17.50	
					कुल	**242.27 एकड़ (98.05 हे०)**	

11. उक्त स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन GPS Reading, Land Suitability Certificate, Geo-referenced नक्शा, टोपोशीट नक्शा, KML File एवं चिन्हित स्थल पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं नवादा द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

12. उक्त से संबंधित प्रतिवेदन पर वन संरक्षक, गया अंचल, गया द्वारा भाग–III की प्रविष्टि में अपनी सहमति संसूचित की गयी है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

13. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 98.05 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 6,13,79,300/– (रूपये छः करोड़ तैरह लाख उनासी हजार तीन सौ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 98.05 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 98.05 हे० को गया वन प्रमंडल अन्तर्गत इमामगंज एवं गया प्रक्षेत्र एवं नवादा प्रमंडल के रजौली प्रक्षेत्र अन्तर्गत समतुल्य गैर वन भूमि चिन्हित करते हुए रू० 1,77,26,894/– (रूपये एक करोड़ सतहतर लाख छब्बीस हजार आठ सौ चौरानवें) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1108/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

5. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं इसका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में Mutation कराये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाएगा।

उपरोक्त शर्त्तों के साथ स्वीकृति हेतु प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./58/2020 – 326 दिनांक 03/04/2020

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज (गया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.4.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com